प्रदान की गई है परन्तु वादी प्रतिवादीगण के अधिकारों व स्वत्व घोषणा पर स्थगन नहीं दिया गया है साथ ही प्रार्थना-पत्र किस विधि द्वारा आदेश के तहत प्रस्तुत है वर्णित नहीं होने से काबिल खारिज है।

अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई बहस में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो लिखित रूप में प्रार्थना-पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र में लिखे गये है।

न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया दस्तावेजों एवं वरिष्ठ सीविल न्यायाधीश न्यायालय मांगरोल के ~~अवलोकन~~ आदेश दिनांक 22-11-2018 से स्पष्ट है कि वरिष्ठ सीविल न्यायाधीश मांगरोल के यहाँ वाद वास्ते गोदनामा घोषणा का विचाराधीन है इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए यह न्यायालय हस्तगत वाद को जारी रखना उचित नहीं समझता है।

अतः हस्तगत वाद को वरिष्ठ सीविल न्यायाधीश मांगरोल में औरवार वाद के निर्णय तक स्टेप किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7-9-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)